



संख्या-29/2026/ 1085/001-54-2002-002-3-2022(1644781)

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ०प्र०

लखनऊ : दिनांक 08 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार निदेशालय" हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-2345/बा०वि०परि०/लेखा/2025-26, दिनांक 30 मार्च, 2026 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार निदेशालय" के विभिन्न मानक मदों में कुल प्रावधानित धनराशि रु० 74661.12 लाख के सापेक्ष विभिन्न मानक मदों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सम्भावित व्यय के दृष्टिगत धनराशि रु० 74661.12 लाख (रुपया सात अरब छियालिस करोड़ इकसठ लाख बारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं :-

- (1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
- (2) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ०प्र०, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि की द्विरावृत्ति न हो।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही किया जायेगा एवं योजना हेतु समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगतशासनादेशों/मानकों/दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य मद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

(5) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है, अन्यथा की स्थिति में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का दायित्व होगा कि वह शासन को तत्काल आवश्यक नियमतः कार्यवाही कर अवगत करायें।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, 30प्र0, लखनऊ का होगा।

(7) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार स्तर से बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भली भांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(10) धनराशि का निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार/विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(11) निदेशक, बाल विकास सेवा पुष्टाहार द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में निदेशक, बाल विकास सेवा पुष्टाहार स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार स्तर से सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षः 2235021020300 (बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	01 वेतन	3,77,66,74,000 (रुपये तीन अरब सतहतर करोड़ छियासठ लाख चौहतर हजार मात्र)
2	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	2,45,48,38,000 (रुपये दो अरब पैंतालीस करोड़ अड़तालीस लाख अड़तीस हजार मात्र)
3	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	04 यात्रा व्यय	1,30,00,000 (रुपये एक करोड़ तीस लाख मात्र)
4	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
5	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	06 अन्य भत्ते	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
6	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	07 मानदेय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
8	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	09 विद्युत देय	30,00,00,000 (रुपये तीस करोड़ मात्र)
9	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	10 जलकर / जल प्रभार	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
10	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
11	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
12	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
13	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,10,00,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र)
14	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	9,00,00,000 (रुपये नौ करोड़ मात्र)
15	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)
16	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	18 प्रकाशन	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
17	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

18	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	29 अनुरक्षण	20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र)
19	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	42 अन्य व्यय	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
20	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र)
21	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
22	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
23	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
24	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
25	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	51 वर्दी व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
26	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
27	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	15,77,00,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ सतहतर लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

28	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			7,46,61,12,000 (रुपये सात अरब छियालीस करोड़ इकसठ लाख बारह हजार मात्र)

महायोग	7,46,61,12,000 (रुपये सात अरब छियालीस करोड़ इकसठ लाख बारह हजार मात्र)
--------	--

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च,2026 में प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश सिंह)

संयुक्त सचिव

संख्या-29/2026/ 1085(1)/001-54-2002-002-3-2022(1644781), तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।